

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1972/आषाढ़ 31, 1894

No. 347] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1972/ASADHA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 22nd July 1972

S.O. 502(E)/15/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as M/s Jyoti Weaving Factory (P) Ltd., Calcutta, for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

- (1) Shri T. P. Chakravarti, Managing Director, Annapurna Cotton Mills Ltd., R 10, New Howrah Approach Road, Calcutta—1.

Members

- (2) Shri Surendra Kumar, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.
- (3) Shri A. Banerjee, Powerloom Adviser, Cottage and Small Scale Industries Directorate, Government of West Bengal, Calcutta.
- (4) Shri B. M. Saxena, Manager, Industrial Reconstruction Corporation of India, 19, Netaji Subhash Road, Calcutta—1.

Member-Secretary

- (5) Shri R. K. Rakshit, Director, Textile Commissioner's Office, Bombay.

[No. 3/12/72-CUC].

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

श्रीद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1972

का० प्रा० 502(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स ज्योति वीविंग फ़ैक्टरी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता नामक श्रीद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

1. श्री टी० पी० चक्रवर्ती, अध्यक्ष
प्रबन्ध निदेशक,
अन्नपूर्णा काटन मिल्स लि०,
आर-10, न्यू हावड़ा एप्रोच रोड,
कलकत्ता—1।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता।
3. श्री ए० बनर्जी, शक्तिचालित करघा सलाहकार, सदस्य
कुटीर तथा लघु उद्योग निदेशालय,
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।
4. श्री बी० एम० सक्सेना, प्रबन्धक, सदस्य
भारतीय श्रीद्योगिक पुनर्निर्माण निगम,
19, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—1।
5. श्री आर० के० रक्षित, निदेशक, सदस्य सचिव
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई।

[सं० 3/12/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।